MRA Saxette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ti. 502] No. 502] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2006/आश्विन 27, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2006/ASVINA 27, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 648(अ).-केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 23) की धारा ! की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख ! नवम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम को धारा 2 और धारा 3 के उपबंध प्रवृत्त होंगे !

[फा. सं. 1/4/2006/सीएल-V] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2006

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2006 (23 of 2006), the Central Government hereby appoints the 1st of November, 2006 as the date on which the provisions of Sections 2 and 3 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/4/2006/CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 649(अ). – केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, 266ख और धारा 266ङ के साथ पिटत धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात :-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 है।

है।

- (2) केन्द्रीय सरकार इनके प्रवृत्त होने की तारीख 1 नवम्बर, 2006 नियत करती
- 2. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (i) "अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है ;
- (ii) निदेशक पहचान संख्या से कोई ऐसी पहचान संख्या अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार किसी व्यष्टि को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के आशय से या कम्पनी के किन्हीं विद्यमान निदेशकों को उसी रूप में उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए आबंटित करें;
- (iii) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (iv) " पूर्व-भरण " से इलैक्ट्रानिक रिजस्ट्री में रखे गए डाटा बेस से कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा डाटा इनपुट की आटोमेटिड प्रक्रिया अभिप्रेत है और उसके प्रति निर्देश है ;
- (v) अनंतिम निदेशक पहचान संख्या से कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित इलैक्ट्रानिक पद्धित द्वारा उद्भूत अनंतिम पहचान संख्या के प्रति निर्देश है जो कम्पनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर पोर्टल माध्यम से ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात दस्तावेज फाइल करने के लिए है ;
- (vi) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- 3. निदेशक पहचान संख्या के लिए आवेदन और उसका आबंटन -
- (1) प्रत्येक व्यष्टि, जो कम्पनी का विद्यमान निदेशक है या निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आशयित है, वह केन्द्रीय सरकार को निदेशक पहचान संख्या आबंटन करने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप सं. डीआईएन-1 में आवेदन करेगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार मंत्रालय की वेबसाइट पर पोर्टल के माध्यम से निदेशक पहचान संख्या आबंटन करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने को सुकर बनाने के लिए इलैक्ट्रानिक प्रणाली उपलब्ध कराएगी।

- (3) आवेदक, प्ररूप सं. डीआईएन-1 पर पोर्टल से प्रविष्ट करेगा, उसमें मांगी गई अपेक्षित विशिष्टियां भरेगा तथा उसमें उपबंधित "प्रस्तुत" का उपयोग करेगा जिस पर इलैक्ट्रानिक रूप से सिस्टम उद्भूत होगा और उपबंधित स्थान पर अनंतिम निदेशक पहचान संख्या उपदर्शित करेगा।
- (4) निदेशक होने के लिए आशयित आवेदक द्वारा उपनियम (3) के अधीन ऑन लाइन उद्भूत अनंतिम निदेशक पहचान संख्या उस तारीख से जिसको यह उद्भूत हुई थी, साठ दिन की अवधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
- (5)(i) आवेदक, केन्द्रीय सरकार को नियमित निदेशक पहचान संख्या आबंटन के लिए नियम 4 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ उस तारीख से जिसको अनंतिम निदेशक पहचान संख्या ऑन लाइन पर उद्भूत थी, साठ दिन के भीतर औपचारिक आवेदन करेगा जिसके असफल रहने पर अनंतिम निदेशक पहचान संख्या व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु उन व्यक्तियों को जिन्होंने इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व अनंतिम पहचान संख्या प्राप्त कर ली है, नियमित डींआईएन के आबंटन के लिए केन्द्रीय सरकार को आबंटन करने के लिए अधिसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी जिसके न हो सकने पर उनका अनंतिम डीआईएन व्यपगत हो जाएगा।

- (ii) उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने के लिए, आवेदक प्ररूप डीआईएन 1 का प्रिंट आउट लेगा, उस प्ररूप में दिए गए स्थान में फोटो चित्र चिपकाएगा, पहचान के सबूत और निवास के सबूत की सत्यापित प्रतियां संलग्न करेगा, और प्ररूप में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा। फोटोचित्र और पहचान तथा निवास के सबूत को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा;
- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी;
- (ख) नोटरी पब्लिक ;
- (ग) ऐसे चार्टर्ड एकांउटेंट, कम्पनी सचिव, लागत और संकर्म लेखापाल जिनके पास चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949, कम्पनी सचिव, अधिनियम 1980 और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959 के अधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र है
- (घ) ऐसा कम्पनी सचिव जो कम्पनी के पूर्णकालिक नियोजन में हैं।

(6) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (5) के अधीन निदेशक पहचान संख्या के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही करेगी, और उसके अनुमोदन या अस्वीकार किए जाने के संबंध में विनिश्चय करेगी और उसे निदेशक पहचान संख्या के साथ आवेदक के अनुमोदन की दशा में डाक द्वारा जारी किए गए पत्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य रीति में ऐसे आवेदन की प्राप्ति से एक मास के भीतर संसूचित करेगी:

परन्तुं इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यष्टि(यों) को आबंटित सभी निदेशक पहचान संख्याएं उनको इन नियमों के अधीन आबंटित की गई समझी जाएंगी।

- (7) इस प्रकार आवंदित निदेशक पहचान संख्या ऐसे आवेदक के जीवन-पर्यन्त विविभाग्य है और उसके जीवनकाल में किसी अन्य व्यक्ति को उसे आवंदित नहीं किया जाएगा।
- 4. फीस निधम 3 के उपनियम (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन पर केंद्रस एक सी स्थाए की फीस का संदाय होगा :

परन्तु 31 विसम्बर, 2006 से पहले ऐसा आवेदन करने वाले आवेदकों को इस नियम के अधीन फीस के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

- 5. कम्पनी को निदेशक पहचान संख्या की सूचना प्रत्येक विद्यमान निदेशक नियम 3 के उपनियम (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार से निदेशक पहचान संख्या प्राप्त होने के एक मास के भीतर अपनी निदेशक पहचान संख्या कम्पनियों को, जहां वह निदेशक है, प्ररूप संख्या डीआईएन-2 में सूचित करेगा।
- 6. रिजस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्या की सूचना प्रत्येक कम्पनी नियम 5 के अधीन निदेशकों से प्राप्त सूचना के एक सप्ताह के भीतर इलैक्ट्रानिक प्ररूप में निदेशक पहचान संख्या के ब्यौरे रिजस्ट्रार को प्ररूप संख्या डीआईएन-3 में अधिनियम की अनुसूची 10 के अधीन यथाविहित फीस के साथ और संबद्ध कम्पनी के पूर्णकालिक कम्पनी सचिव द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383क के अधीन यथा अपेक्षित पूर्णकालिक नियोजन में कम्पनी सचिव द्वारा या पूर्णकालिक व्यवसाय में कम्पनी सचिव द्वारा सम्यकरूप से प्रमाणित ब्यौरे रिजस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :

परन्तु इन नियमों के अधीन 31 मार्च, 2007 को या उसके पूर्व निदेशक पहचान संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों को फीस में संदाय से छूट दी जाएगी।

- 7. निदेशकों का विशिष्टियों में परिवर्तनों को सूचित करने का कर्तव्य (1) प्रत्येक निदेशक प्ररूप सं. डीआईएन-1 में यथा कथित अपनी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में, जिसे इन नियमों के अधीन निदेशक पहचान संख्या आबंटित की गई है, ऐसे परिवर्तनों की सूचना केन्द्रीय सरकार को विशिष्टियों में परिवर्तन के तीस दिन की अवधि के भीतर मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए प्ररूप संख्या डीआईएन-4 का उपयोग करते हुए सूचित करेगा। सम्बद्ध निदेशक कम्पनी या कम्पनियों को जिसका वह निदेशक है, ऐसे परिवर्तनों को भी सूचित करेगा।
- (2) निदेशक, विहित डीआईएन-4 में सुसंगत परिवर्तनों को भरेंगे, परिवर्तित विशिष्टियों के सबूत की प्रति संलग्न करेंगे, विनिर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे, नियम 3 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी से साक्ष्य का प्रमाणन अभिप्राप्त करेंगे और केन्द्रीय सरकार को वस्तुतः उसे फाइल करेंगे। उपनियम (1) के अधीन डीआईएन-4 में विशिष्टियों में परिवर्तनों को सूचित करने के लिए कोई फीस नहीं होगी।
- (3) केन्द्रीय सरकार, संलग्न सबूतों से ऐसी परिवर्तित विशिष्टियों के सत्यापन के माध्यम से समाधान होने पर उक्त परिवर्तनों को समाविष्ट करेगी और निदेशक को डाक द्वारा जारी पत्र के माध्यम से या इलैक्ट्रानिक रूप से या किसी अन्य रीति में मंत्रालय द्वारा रखे गए इलैक्ट्रानिक डाटा बेस में ऐसे परिवर्तन के प्रभाव की पुष्टि करते हुए सूचित करेगी।

9

क त यों

5 में यम यक

क्षेत चिव

चान

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2006

G.S.R. 649(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of subsection (1) of section 642 read with sections 266A, 266B, and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules namely-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006.
- (2) The Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2006 as the date on which the provisions of these rules shall come into force.
- 2. <u>Definitions</u> In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (i) "Act" means the Companies Act. 1956 (1 of 1956);
 - "Director Identification Number" (DIN) means an identification number which the Central Government may allot to any individual, intending to be appointed as director or to any existing directors of a company, for the purpose of his identification as such;
 - (iii) "form" means the form annexed to these rules:
 - (iv) "Pre-fill" means and refers to the automated process of data input by the computer system out of the database maintained in electronic registry:

- (v) "Provisional Director Identification Number" refers to the provisional identification number generated by the electronic system setup by the Ministry of Company Affairs for filing of documents, after the on-line application form is submitted through the portal on the website of the Ministry of Company Affairs (www.mca.gov.in);
- (vi) "section" means the section of the Act;
- 3. Application and allotment of Director Identification Number (1) Every individual, who is an existing director or intending to be appointed as director of a company shall make an application electronically to the Central Government for allotment of Director Identification Number in Form No DIN-1.
- (2) The Central Government shall provide an electronic system to facilitate submission of application for the allotment of Director Identification Number through a portal on the website of the Ministry.
- (3) The applicant shall access the Form No. DIN-1 from the portal, fill-in the required particulars sought therein and use 'submit' function provided therein upon which the system will electronically generate and indicate in the space provided a Provisional Director Identification Number.
- (4) A provisional Director Identification Number generated online under sub-rule (3) by the applicant intending to be a director will remain valid for a period of sixty days from the date on which it was generated.

(5) (i) The applicant shall, after the allotment of provisional DIN, submit a formal application to the Central Government alongwith the fee as specified in rule 4 for the allotment of regular Director Identification Number within sixty days from the date on which provisional DIN was generated on-line, failing which the provisional DIN will lapse:

Provided that the individuals who have obtained provisional Director Identification Number (DIN) prior to the notification of these rules, shall be allowed a period of sixty days from the date of notification to make an application to the Central Government for allotment of regular DIN, failing which their provisional DIN will lapse.

- (ii) For making an application under sub-rule (i), the applicant shall take a print out of Form No. DIN-1, affix his photograph in the space provided in that Form, enclose true copies of the proof of identity and proof of residence and physically sign the form at the place specified therein. The photograph and the proof of identity and residence shall be certified by any one of the following authorities:
 - (a) Gazetted Officer of the Central or State Government:
 - (b) Notary Public;
 - (c) Chartered Accountant, Company Secretary. Cost & Works Accountant holding a certificate of Practice under the Chartered Accountants Act, 1949, Company Secretaries Act, 1980 and the Cost & Works Accountants Act, 1959.
 - (d) Company Secretary in full time employment of the company.
- (6) The Central Government shall process the applications received for allotment of DIN under sub-rule (5), decide on the approval or rejection thereof and communicate the

same alongwith the DIN allotted in the case of approval to the applicant by way of a letter by post or electronically or in any other mode, within a period of one month from the receipt of such application:

Provided that all Director Identification Numbers allotted to individual(s) by the Central Government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to them under these rules.

- (7) The Director Identification Number so allotted is valid for the life-time of such applicant and shall not be allotted to any other person during his life-time.
- 4. Fee. Each application made under sub-rule (5) of rule 3 shall entail a payment of a fee of Rupees one hundred only:

Provided that applicants making such application before 31st December 2006 shall be exempted from payment of fee under this rule.

- 5. <u>Intimation of DIN to the Company</u>: Every existing director shall, within one month of the receipt of the Director Identification Number from the Central Government under sub-rule (6) of rule 3, intimate his Director Identification Number to the company or all companies wherein he is a director, in Form No. DIN-2.
- 6. Intimation of DIN to the Registrar: Every company shall furnish the details of Director Identification Number within one week of the receipt of intimation from directors under rule 5, to the Registrar in Form No. DIN-3 in electronic form along with fee as prescribed under Schedule X of the Act and duly certified by a Company Secretary

in full time employment of the concerned company as required under section 383A of the Companies Act, 1956 or by a Company Secretary in full time practice.

Provided that the companies furnishing details of DIN under this rule on or before 31st March 2007 shall be exempted from payment of fee.

- Puty of director to intimate changes of particulars: (1) Every director, in the event of any change in his particulars as stated in Form No. DIN-1, who has been allotted a Director Identification Number under these rules, shall intimate such change(s) to the Central Government within a period of 30 days of such change(s) in particulars by using Form No. DIN-4 made available by the Ministry on its website. The concerned director will also intimate such changes to the company or companies on which he is a director.
- (2) The directors shall fill-in the relevant changes in prescribed Form DIN-4, enclose a copy of the proof of the changed particulars, affix signature at the place specified, obtain certification of the evidence from any of the authorities specified in sub-rule (5) of rule 3 and file the same in physical form to the Central Government. There shall be no fee for intimating the changes in particulars in DIN-4 under sub-rule (1).
- (3) The Central Government, upon being satisfied, through verification of such changed particulars from the enclosed proofs, shall incorporate the said changes and inform the director by way of a letter issued by post or electronically or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic data-base maintained by the Ministry.